रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032025-262014 CG-DL-E-27032025-262014

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164]

No. 164]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2025/चैत्र 6, 1947 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2025/CHAITRA 6, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2025

सं. 11/2025-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 201(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों को केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में-
 - (क) नियम 164 में,-

2157 GI/2025 (1)

- (i) उपनियम (4) में, "उक्त उपधारा के अधीन अधिसूचित तारीख को या इससे पूर्व केवल उक्त सूचना या कथन या आदेश में माँग किए गए कर की पूर्ण रकम" शब्दों के स्थान पर "उक्त उपधारा के अधीन अधिसूचित तारीख़ को या इससे पूर्व केवल उक्त उपधारा में उल्लिखित अविध से संबंधित कर की पूर्ण रकम और उक्त सूचना या कथन या आदेश में माँग किए गए कर" शब्द रखे जाएंगे।
- (ii) उपनियम (4) के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

स्पष्टीकरण- उन मामलों में जहां अधिनियम की धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित कोई सूचना या विवरण या आदेश में, जिसमें आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अविध के लिए और आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अविध से भिन्न किसी अन्य अविध के लिए कर की मांग शामिल है, ऐसे किसी भी कर, ब्याज और शास्ति के लिए कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा, जिसका केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2025 के प्रारंभ होने से पूर्व संपूर्ण अविध के लिए पहले ही उन्मोचन कर दिया गया है।

(ख) नियम 164 के उपनियम 7 में, पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि जहाँ धारा 128 क की उपधारा (1) में उल्लिखित कोई सूचना या विवरण या आदेश में, जिसमें आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अविध के लिए और आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अविध से भिन्न अन्य अविध के लिए कर की मांग भी शामिल है, आवेदक अपील वापस लेने के बजाय अपील प्राधिकारी या अपील न्यायाधिकरण को सूचित करेगा कि वह उक्त उपधारा में उल्लिखित अविध के लिए अपील को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है और संबंधित प्राधिकारी उक्त अनुरोध पर ध्यान देने के पश्चात उक्त उपधारा में उल्लिखित अविध से भिन्न अन्य अविध के लिए ऐसा आदेश पारित करेगा जिसे वह उचित और न्यायसंगत समझे।

स्पष्टीकरण- शंका को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि अपील आवेदन धारा 128 क के उप-खंड (3) के प्रयोजनार्थ 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 या उसके भाग की अविध के लिए उक्त सूचना के विस्तार तक वापस लिया हुआ समझा जाएगा।"

[फा. सं. सी.बी.आई.सी.-20016/12/2025-जी.एस.टी.]

रौशन कुमार, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 610(अ) तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्यांक सा.का.िन. 72(अ) तारीख 23 जनवरी, 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2025

No. 11/2025-Central Tax

G.S.R. 201(E).— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2025.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017,-
 - (a) in rule 164,
 - (i) in sub-rule (4), after the words "after payment of the full amount of tax", the words "related to period mentioned in the said sub-section and" shall be inserted.
 - (ii) after sub-rule (4), the following Explanation shall be inserted, namely: -

"Explanation, - No refund shall be available for any tax, interest, and penalty, which has already been discharged for the entire period, prior to the commencement of the Central Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2025, in cases where a notice or statement or order mentioned in sub-section (1) of section 128A, includes a demand of tax, partially for the period mentioned in the said sub-section and partially for a period other than mentioned in the said sub-section."

(b) in rule 164, in sub-rule 7, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided further that where the notice or statement or order mentioned in sub-section(1) of section 128A of the Act includes demand of tax, partially for the period mentioned in the said sub-section and partially for the period other than that mentioned in the said sub-section, the applicant instead of withdrawing the appeal, shall intimate the appellate authority or Appellate Tribunal that he does not wish to pursue the appeal for the period mentioned in the said sub-section and the relevant authority shall, after taking note of the said request, pass such order for the period other than that mentioned in the said sub-section, as he thinks just and proper.

Explanation,— For the removal of doubt, it is clarified that the appeal application shall be deemed to have been withdrawn to the extent of the said intimation for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2020 or part thereof, for the purpose of sub-clause (3) of section 128A."

[F. No. CBIC-20016/12/2025-GST]

RAUSHAN KUMAR, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section(i), *vide* number G.S.R. 610(E), dated, the 19th June 2017 and was last amended, *vide* number G.S.R. 72(E), dated the 23rd January, 2025.